GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA)
(RAILWAY BOARD)

RBE No. 119/91

No.E(P&A)I-90/CPC/LE-9 New Delhi, dated 25-6-1991.

The General Managers,
All Indian Railway, etc.
As per standard mailing list.

Subject: Admissibility of Maternity Leave to temporary employees.

*****

On a demand raised by the Federations, i.e. A.I.R.F., and N.F.I.R., in the PNM Meetings for provision of Maternity Leave to female casual labour with temporary status on par with regular female employees, the matter has been examined in consultation with the Deptt. of Personnel and Training and it has been decided that the provisions under Rule 551 of Indian Railway Estt. Code, Vol. I, 1985 Edition for grant of Maternity Leave should be made applicable to temporary female employees, irrespective of their length of service. Female casual labour with temporary status will also be entitled to all benefits of maternity leave irrespective of their length of temporary status service as admissible to female temporary railway servants under Rule 551-R.I.

2. These orders take effect from the date of issue of this letter.

3. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

4. Necessary code correction will follow.

5. Kindly acknowledge receipt.

( A.C.BAKSHI )
JOINT DIRECTOR, ESTT.(P&A),
RAILWAY BOARD.

ENCL:Nil.

No.E(P&A)I-90/CPC/LE-9 New Delhi, dated 25-6-1991.

Copy to the FA & CAOs, All Indian Railways etc.

( A.C.BAKSHI )
JOINT DIRECTOR, ESTT.(P&A),
RAILWAY BOARD.

ENCL:Nil.

No.E(P&A)I-90/CPC/LE-9. New Delhi,dt. 25 .6.1991.

Copy to the ADAI(Railways), N. Delhi with 40 spares.

for Financial Commissioner/Rlys.

No.E(P&A)I-90/CPC/LE-9. New Delhi,dt. 25 .6.1991.

Copy forwarded to:-

Federations and Staff Associations.(As per Standard Mailing List No. III)

for Secretary,Railway Board .

Copy to:-

PS to CRB, FC, ME, MM, MS, Adv(Staff), Adv.(Finance), ML, Secretary.

Sr. PAs to EDE, EDEB, EDF(B), EDPC , EDEN, EDE(IR), ED(PR).

PAs to DF(E), JDE(P&A), JDE(LL), JDE(L), Jt. Secy.(G), Jt. Secy(E), Dy. Secy(E), Dy. Secy(G), US(A), US(D&A)I &II, DDE(G), DDF(E)I, DDF(E)II, DDF(E)III, DDE(G)II, ERB-I,II, III, IV, E(O)II, E(O)III, Cash I, II, III, E(GC), Budget Branches.

E(LR)I, FE-I, II, III, Spl., A/Cs III (With ten spares), A/Cs Inspection (With 3 spares) E(G) (With 5 spares), E(W), E(P&A)II, E(NG)I, II, PC-III, IV, Code Revision Cell.

JDE(D&A)I & II and E(D&A) Branch.

*****

भारत सरकार

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

आर बी ई सं0 119/91

सं0 ई(पी एण्ड ए)I-90/सी पी सी/एल ई-9 नई दिल्ली, दि0 25.6.91

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें आदि ।
(मानक डाक सूची के अनुसार)

विषय:- अस्थायी कर्मचारियों को प्रसूति अवकाश की स्वीकार्यता ।

अस्थायी ओहदे वाली महिला नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित महिला कर्मचारियों के बराबर प्रसूति अवकाश देने के संबंध में फेडरेशनों अर्थात ए.आई.आर.एफ., तथा एन एफ आई आर द्वारा स्थायी वार्ता तंत्र की बैठकों में उठाई गयी मांग को ध्यान में रखते हुए, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से इस मामले की जांच की गयी है तथा यह विनिश्चय किया गया है कि भारतीय रेल स्थापना संहिता वाल्यूम I, 1985 संस्करण के नियम 551 के अंतर्गत प्रसूति अवकाश की स्वीकृति के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, उन्हें अस्थायी महिला कर्मचारियों पर लागू किया जाना चाहिए, चाहे उनकी सेवा अवधि कितनी भी हो । अस्थायी ओहदे की महिला नैमित्तिक श्रमिक, चाहे अस्थायी ओहदे में उनकी सेवा अवधि कितनी भी हो, प्रसूति अवकाश के वे सभी लाभ पाने की भी हकदार होंगी जैसा कि नियम 551-आर आई के अन्तर्गत अस्थायी रेल महिला कर्मचारियों को स्वीकार्य है ।

..........2/-

2• ये आदेश, इस पत्र के जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे ।

3• इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है ।

4• संहिता में आवश्यक संशोधन बाद में जारी किया जाएगा ।

5• कृपया पावती दें ।

(एस०सी०बख्शी)
(एस० सी० बख्शी)
संयुक्त निदेशक, स्था०(पी एण्ड ए),
रेलवे बोर्ड•

सं० ई(पी एंड ए)।-90/सी पी सी/एल ई-9 नई दिल्ली, दि० 25•6•91

प्रतिलिपि:-

वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी,
सभी भारतीय रेलों को प्रेषित ।

(एस०सी०बख्शी)
(एस० सी० बख्शी)
संयुक्त निदेशक, स्था०(पी एण्ड ए),
रेलवे बोर्ड•

......3/-

सं॰ ई॰(पी एंड ए)।-90/सीपीसी/एल ई-9 ; नई दिल्ली, दिनांक 25-6-1991.

प्रतिलिपि भारत के अवर उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलवे),
नई दिल्ली को 40 अतिरिक्त प्रतियों सहित अग्रेषित ।

कृते वित्त आयुक्त/रेलवे

सं॰ ई॰(पी॰ एंड ए)।-90/सीपीसी/एलई-9 नई दिल्ली, दिनांक 25-6-1991.

प्रतिलिपि फैडरेशनों तथा कर्मचारी एसोसिएशनों को प्रेषित (मानक डाक सूची सं॰ 111 के अनुसार)

कृते सचिव, रेलवे बोर्ड